



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला एवं बाल विकास विभाग)



क्रमांक-प.19(1)()निमअ/साथिन/प्रशि./2009/

27728

जयपुर, दिनांक- 19/7/22

उप/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला- समस्त (राज.)

विषय-मानदेयकर्मी साथिनों के दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु व्यय की सीमा निर्धारण बाबत।

महिला अधिकारिता के अधीन कार्यरत मानदेयकर्मी साथिनों के पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.19(1)(4)निमअ/मविका/सा.कार्य प्रशि./2009/17909 दिनांक 09.06.2014 को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से वित्तीय मानदंड/दरें निर्धारित की जाती हैं। यह प्रशिक्षण अब दो दिवस का होगा। पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण संशोधित मापदण्डों/दरों की सीमा में नियमानुसार व्यय कर निश्चित समय पर सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

साथिन दो दिवसीय पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण -बैच में कुल 40 सम्पागी (35 साथिन एवं 5 अन्य व्यक्ति)-

क्र.सं.	मद	दर	कुल व्यय राशि (रुपये में)
1	साथिनों की भोजन व्यवस्था (नाश्ता, दो बार भोजन, दो चाय प्रति प्रशिक्षणार्थी)	325 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	26,000 (325X2X40)
2	प्रशिक्षको/प्रशिक्षणार्थियों को आने जाने का वास्तविक साधारण बस/रेल किराया	150 अधिकतम प्रतिव्यक्ति	6,000 (150X40)
3	प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय	100 प्रतिव्यक्ति	4,000/- (100X40)
4	आकस्मिक व्यय (रिपोर्ट लेखन एवं फोटोग्राफी इत्यादि)	-	1,500/-
5	आवास एवं प्रशिक्षण स्थल व्यवस्था का किराया	3500 प्रतिदिन	7,000/- (3500X2)
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 2	400 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	1,600/- (400X2X2)
7	स्वीपर -1	400 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	800/- (400X2)
	कुल योग		46,900

उपरोक्त दरों से अधिक व्यय नहीं किया जावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेणु जयपाल)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
कृ.पृ.उ...

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

D/Sathin/Letters-22 | ☎: 0141-2716452 | ✉: sathincell.we@rajasthan.gov.in | 🌐: http://wcd.rajasthan.gov.in



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला एवं बाल विकास विभाग)



क्रमांक- प.19(1)()निमअ/साथिन/प्रशि./2009/ 27729-761 जयपुर, दिनांक- 19/7/22

प्रतिलिपी: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जिला- समस्त, राजस्थान।
7. श्री मुरारी लाल गुप्ता, सहायक निदेशक (प्रशि.), महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
8. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

21

कार्यक्रम निदेशक
महिला अधिकारिता